



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 05, शुक्रवार, शाके 1943-नवम्बर 26, 2021
Agrahayana 05, Friday, Saka 1943- November 26, 2021

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 24, 2021

संख्या प.10(1)नवि/3/81:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.05.2013 द्वारा अधिसूचित सीकर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, सीकर द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में सीकर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि सीकर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान-2031 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगर परिषद, सीकर में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग के वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/udh पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवनीत कुमार,

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

2528

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।